

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

11.09.2021

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार है। जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा कर दी गयी है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।